FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी :–

सरकार हरीश कुमावत वगैरह

प्रकरण संख्या :: 59 /2026

(जी0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2026/116)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/5/2026	अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पेश कर पुलिस थाना गुडा एन्दला, जिला पाली के प्रकरण संख्या 103/2026 अन्तर्गत धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जब्तशुदा वाहन नम्बर Ashok Leyland Ltd Tankar No. HR 38 W 3311 को सुपुर्दगीनामें एवं जमानत पर रिलीज किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/5/26 को पेश हो। अति. जिला मजिस्ट्रेट,पाली	
20.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। हस्तगत प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होने से अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21.05.2026 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली	
21.05.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा वाहन Ashok Leyland Ltd. Tanker No. HR 38 W 3311 मय गैस को अनुसंधान हेतु जब्त कर पुलिस थाना गुड़ा एन्दला, पाली को सुपूर्द पर दिया गया, जिसे जमानत एवं सुपूर्दगीनामें पर छोड़ने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया। रामा रोड़वेज के मालिक रमेश कुमार बतरा जरिये आम मुख्तियार संदीप सत्यानन्द मिश्रा के तहत उपरोक्त वाहन को सम्पूर्ण कार्य करने के लिए अनुबन्धित व्यक्ति है। उक्त वाहन से वर्तमान में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा जिला रसद अधिकारी, पाली को अब अनुसंधान में वाहन की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की फर्म गैस ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है, जिसमें सम्पूर्ण नियमों की पूर्ण पालना की जाती है। वाहन में माल भरने के बाद उपरोक्त वाहन को सील कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए चालान मय बिल तैयार कर गाड़ी को रवाना किया जाता है एवं सील बन्द हालत में ही वाहन को प्राप्त कर सील चेक कर माल को निकाला जाता है। इस दरम्यान यदि वाहन चालक द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक की होती है न की फर्म की। उक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है एवं वाहन में एलपीजी गैस भरी हुई है तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार गैस को निश्चित स्थान पर पहुंचाना अतिआवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब्त वाहन को जमानत व सुपूर्दगीनामें पर प्रार्थी को प्रदान कराने के आदेश प्रदान करावे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली	

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम हरीश कुमावत वगैरह प्रकरण संख्या 59/2026 जीसीएमएस नम्बर 2026/116	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार दिनांक 13.05.2026 को प्रार्थी फर्म का अधिकृत एवं पंजीकृत चालक द्वारा तहसील पाली के क्षेत्र में टैंकर से गैस निकालकर गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भराई जा रही थी। मौके पर जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा कार्यवाही करते हुये उक्त गैस टैंकर मय गैस, गैस सिलेण्डर व अन्य सामान जब्त किया गया तथा सम्बन्धित पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया। तत्पश्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत जब्ती की कार्यवाही हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण पेश किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा वाहन के स्वामित्व एवं वैधानिक संचालन के समर्थन में पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र, आईओसीएल बिल एवं बिल्टी, चालक का नियुक्ति आवेदन पत्र तथा आईओसीएल एवं प्रार्थी फर्म के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की प्रतियां प्रस्तुत की गई है। तथापि, यह स्थापित विधि का सिद्धान्त है कि वाहन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर देना मात्र अन्तरिम सुपूर्दगी प्राप्त करने का स्वतः अधिकार उत्पन्न नहीं करता। न्यायालय को यह भी देखना आवश्यक होता है कि वाहन का उपयोग किस प्रकृति के अपराध में किया गया तथा क्या वाहन स्वयं अपराध का साधन (Instrumentality of Offence) बन चुका है। वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि जब्तशुदा टैंकर का उपयोग आवश्यक वस्तु अर्थात् एलपीजी गैस की अवैध निकासी एवं गैस सिलेण्डरों में अनाधिकृत पुनर्भरण हेतु किया गया, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, एलपीजी (Regulation of Supply and Distrbution) Order, Explosives Act तथा सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी विधिक प्रावधनों का गम्भीर उल्लंघन है। धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण एवं परिवहन को विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया गया है तथा उक्त प्रावधानों के उल्लंघन पर धारा 7 के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है। धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि यदि किसी आवश्यक वस्तु का परिवहन, भण्डारण अथवा वितरण अधिनियम अथवा नियंत्रण आदेश के उल्लंघन में किया जाता है, तो सम्बन्धित आवश्यक वस्तु के साथ–साथ उसे परिवहन करने वाला वाहन भी जब्ती हेतु उत्तरदायी होगा। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि जब्तशुदा एलपीजी टैंकर का उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन में किया गया, अतः उक्त वाहन धारा 6ए के अन्तर्गत जब्ती योग्य सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार वाहन स्वामी पर यह विधिक भार है कि वह यह सन्तोषजनक रूप से सिद्ध करे कि वाहन का उपयोग उसकी जानकारी, सहमति अथवा मिलीभगत के बिना किया गया तथा अपराध रोकने हेतु उसके द्वारा सभी आवश्यक एवं युक्तियुक्त सावधानियां बरती गई थी। उक्त प्रकरण में चालक स्वयं प्रार्थी फर्म का अधिकृत चालक है तथा वाहन प्रार्थी के नियंत्रण एवं अधीनता में संचालित हो रहा था।	

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम हरीश कुमावत वगैरह प्रकरण संख्या 59/2026 जीसीएमएस नम्बर 2026/116	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा तकनीकी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो सके कि वाहन में जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग व्यवस्था, डिजिटल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग अथवा रीयल टाइम ट्रैकिंग जैसी कोई प्रभावी सुरक्षा प्रणाली लागू थी। यह भी अभिलेख पर नहीं है कि परिवहन के दौरान चालक अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से गैस निकासी रोकने हेतु वाहन पर कोई विशेष नियंत्रण तंत्र स्थापित था। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी ने अपराध की रोकथाम हेतु समुचित सावधानियां बरती थी।

न्यायालय हाजा इस तथ्य को अत्यन्त गम्भीरता से लेता है कि एलपीजी गैस अत्यधिक ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ है तथा उसका अनाधिकृत पुनर्भरण जनसुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है। घरेलू गैस सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैर भरना एक अत्यन्त जोखिमपूर्ण गतिविधि है, जिससे किसी भी समय आगजनी, विस्फोट अथवा जनहानि की गम्भीर घटना घटित हो सकती है। इस प्रकार का अपराध केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं लोकहित के विरूद्ध गम्भीर अपराध है। अतः ऐसे मामलों में न्यायालय का दायित्व केवल सम्पत्ति अधिकारों की रक्षा तक सीमित न होकर जनसुरक्षा एवं विधिक नियंत्रण व्यवस्था की रक्षा करना भी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जब्तशुदा टैंकर स्वयं अपराध से सम्बन्धित महत्वपूर्ण भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य है। वाहन की वाल्व प्रणाली, गैस डिस्चार्ज मैकेनिज्म, पाइपलाइन संरचना, प्रेशर कंट्रोल यूनिट, सीलिंग सिस्टम एवं अन्य तकनीकी उपकरणों की जांच अन्य प्रकरणों में अपेक्षित हो सकती है। प्रथम दृष्टया इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वाहन में अवैध गैस निकासी हेतु तकनीकी परिवर्तन अथवा अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग किया गया हो। यदि वर्तमान अवस्था में वाहन को अन्तरिम सुपूर्दगी पर छोड़ा जाता है तो अपराध से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट अथवा परिवर्तित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यह भी विचारणीय है कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही वर्तमान में लम्बित है। जब किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है, तब सामान्य सुपूर्दगी सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग सीमित एवं सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त State of Karnataka vs k.A. Kunchindammed, (2002) 9 SCC 90 में यह प्रतिपादित किया है कि विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात न्यायालय की अन्तरिम सुपूर्दगी सम्बन्धी शक्तियां सीमित हो जाती है तथा वाहन को सुपूर्द करना सम्भावित जब्ती कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकता है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त State of West Bengal vs Sujit Kumar Rana, (2004) 4 SCC 129 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि जहा वाहन विशेष अधिनियम के अधीन जब्ती योग्य हो, वहॉ न्यायालय द्वारा वाहन रिलीज करने में अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त Divisional Forest

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम हरीश कुमावत वगैरह प्रकरण संख्या 59/2026 जीसीएमएस नम्बर 2026/116	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Officer vs G.V. Sudhakar Rao, (1985) 4 SCC 573 में यह प्रतिपादित किया गया कि विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती योग्य वाहन को अन्तिरम रूप से छोडना अधिनियम की मंशा एवं सार्वजनिक हित के विपरीत हो सकता है। व्यवहारिक एवं विधिक दृष्टिकोण से भी न्यायालय हाजा यह मानता है कि वर्तमान अवस्था में जब्तशुदा गैस टैंकर मय गैस को अन्तरिम सुपूर्दगी पर छोड़ा जाना न केवल लम्बित जब्ती कार्यवाही को प्रभावित करेगा, बल्कि अपराध से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संरक्षण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसके अतिरिक्त यह संभावना भी विद्यमान है कि वाहन पुनः समान प्रकृति के अपराध में प्रयुक्त हो सकता है। एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ है अतः उसका अवैध पुनर्भरण व्यापक जनसुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं अवैध वितरण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है। अतः ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाना विधिक नियंत्रण व्यवस्था एवं लोकहित दोनों के प्रतिकूल होगा।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों, लम्बित जब्ती कार्यवाही, वाहन के अपराध में प्रत्यक्ष उपयोग, साक्ष्य सरंक्षण की आवश्यकता, जनसुरक्षा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वर्तमान अवस्था में जब्तशुदा गैस टैंकर मय गैस को अन्तरिम सुपूर्दगी पर छोड़ा जाना न्यायहित, लोकहित एवं विधि के अनुरूप नहीं होगा।

परिणामस्वरूप हस्तगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली